बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– 96/बामेती/2018– 72 दिनांक 16-01-2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के लिए कुल 6304.17 लाख रू0 (तिरसठ करोड़ चार लाख सतरह हजार रू0 मात्र) (केन्द्रांश मद में 3782.50 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 2521.67 लाख रूपये) के लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के लिए कुल 6304.17 लाख रू0 (तिरसठ करोड़ चार लाख सतरह हजार रू0 मात्र) (केन्द्रांश मद में 3782.50 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 2521.67 लाख रूपये) के लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का वर्ष 2018–19 में राज्य, जिला तथा न्यून स्तर पर चलाये जाने वाले कार्यक्रमों का मद्वार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 संलग्न है।

3. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) एवं बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) में स्वीकृत पद कार्य योजना का भाग है। भारत सरकार द्वारा अनुमान्य पदों के अतिरिक्त राज्य योजना से कतिपय पद सृजित किये गये हैं। पूर्व से सृजित पदों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यरत/नियुक्त कर्मियों को संबंधित आत्मा/बामेती के द्वारा अवधि विस्तार अनुमान्य किया जायेगा। सृजित पदों पर सभी नियुक्तियाँ आत्मा एवं बामेती सोसाईटी के द्वारा किया गया है।

4. केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAE के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना में भारत सरकार का अंश 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का अंश 40 प्रतिशत निर्धारित है। इस योजना हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 36-25/17-AE/Extn. Desk दिनांक 30.08.2018 द्वारा कुल 1891.25 लाख (अठारह करोड़ एकानवे लाख पच्चीस हजार रू0 मात्र) रू0 विमुक्त किया जा चुका है। केन्द्रांश मद में भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त होने पर केन्द्रांश तथा समानुपारित राज्यांश का आवंटन निर्गत किया जा सकेगा तथा आवंटन के आधार पर राशि की निकासी की जाएगी।

5. दिनांक 20.08.2018 को विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए गठित State Level Sanctioning Committee (SLSC) की बैठक में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के क्रियान्वयन के लिए कुल 7492.74 लाख रू0 का स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें इस योजना का 6304.17 लाख रू0 की राशि भी सम्मिलित है।

6. केन्द्र प्रायोजित योजना आत्मा/बामेती सोसाइटी के द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा निर्धारित शर्त की सीमा में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त गाईड लाइन एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश का अनुपालन सोसाइटी द्वारा किया जायेगा।

7. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना की केन्द्रांश मद की उपबंधित एवं राज्य सरकार द्वारा राज्यांश मद की उपबंधित राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार से की जाएगी। आत्मा योजना मद में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद व्यय होने वाली राशि की निकासी संबंधित एजेन्सी से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा निकासी कर बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) के पी0एल0 खाता 278 में स्थानांतरित किया जाएगा। बामेती द्वारा वित्त विभाग के निदेश के आलोक में पी0एल0 खाता से राशि की निकासी कर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

8. इस योजना के वित्तीय सीमा के अंतर्गत घटक योजनाओं के लिए प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को एक घटक से दूसरे घटक में आवश्यकतानुसार संशोधन कृषि विभाग द्वारा किया जा सकेगा। योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर कृषि विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा। बजट उपबंध के अधीन ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त राशि का अनुपूरक बजट में बजट उपबंध के बाद अतिरिक्त राशि का व्यय किया जायेगा।

9. वितीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष–00, मांग संख्या–01, लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उपशीर्ष–0217–राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड 1–2401001090217 विषय शीर्ष 0217.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन	3139.48	3139.48

मुख्य शीर्ष 2401—फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष—00, मांग संख्या—01, लघु शीर्ष—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष—0236—राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड 1—2401007890236 विषय शीर्ष 0236.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन	605.20	605.20
मुख्य शीर्ष 2401—फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष—00, मांग संख्या—01, लघु शीर्ष—796—जनजातिय क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष—0260—राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड 1—2401007960260 विषय शीर्ष 0260.31.06 —सहायक अनुदान गैर वेतन।	37.82	37.82
कुल	**3782.50**	**3782.50**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष—2401— फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष—00, मांग संख्या—01, लघु शीर्ष —109—विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण उपशीर्ष—0317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन विपत्र कोड 1—2401001090317 के अतंर्गत विषय शीर्ष 0317.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन	2092.98	2092.98
मुख्य शीर्ष—2401— फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष—00, मांग संख्या—01, लघु शीर्ष —789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना उपशीर्ष—0336— राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन विपत्र कोड 1—2401007890336 के अतंर्गत विषय शीर्ष 0336.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन	403.47	403.47
मुख्य शीर्ष 2401—फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष—00, मांग संख्या—01, लघु शीर्ष — 796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उपशीर्ष 0360—राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन, विपत्र कोड 1—2401007960360 के अतंर्गत विषय शीर्ष 0360.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन	25.22	25.22
कुल	**2521.67**	**2521.67**
सकल योग	**6304.17**	**6304.17**

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या—3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या 96/बामेती/2018 के पृ0सं0—25/टि० पर प्राप्त है एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 18.12.2018 की बैठक में पृ0सं0—29/टि0 पर प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 96/बामेती/2018 के पृ0सं0—37/टि. पर दिनांक— 09.01.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 96/बामेती/2018 72 दिनांक 16-01-2019

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचंन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra
15-1-19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 96/बामेती/2018 72 दिनांक 16-01-2019

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra
15-1-19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 96/बामेती/2018 72 दिनांक 16-01-2019

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra
15-1-19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 96/बामेती/2018 72 दिनांक 16-01-2019

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Rabindra
15-1-19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।